

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 01/2018

RCMS Case Reg. 2018/00009

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

श्रीमति निरूपमा पत्नी श्री प्रणव
पण्ड्या निवासी मोहन कॉलोनी,
बांसवाड़ा

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28,
29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

उपरिस्थित :

1- श्री योगेश सोमपुरा,

-अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक :- 17-05-2018

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, यह कि, प्रार्थीया ने जरिये रजिस्ट्री दिनांक 01-09-2009 को श्री देवा पिता नाथु चमार निवासी गोरडी से ग्राम बड़गांव में स्थित रूपान्तरित आवासीय आबादी भूमि खसरा नं. 1392/ 797 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा याने 1701 वर्गमीटर भूमि क्रय की है। जिस पर प्रार्थीया आदिनांक काबिज है। ग्राम बड़गांव के उक्त खसरा नं. 1392/ 797 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा याने 1701 वर्गमीटर भूमि कार्यालय विहित प्राधिकारी, तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा जारी सम्पत्तिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व/2006/3/88-92 दिनांक 29-09-2006 से कृषि से अकृषि आवासीय प्रायोजनार्थ रूपान्तरण किया गया है। भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 05-09-2012 नई दिल्ली में भूमि अवाप्ति की धारा 3-क का प्रकाशन हुआ है। प्रकाशन के पूर्व ही भूमि का रूपान्तरण होकर भूमि क्रय की है। सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा ने अपने आदेश क्रमांक 340 दिनांक 26.05.2014 से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 प्रनापगढ से पाडी खण्ड किलोमीटर 80 से 180 तक, भूमि अवाप्ति के संबंध में



भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

आने वाली भूमि को अवाप्त की पत्रावली तैयार कर परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग (विश्व बैंक) बांसवाड़ा अवार्ड के भुगतान हेतु प्रेषित किया गया। प्रार्थीया द्वारा क्रय शुदा रूपान्तरित भूमि में से 0.119 हैक्टर (12805 वर्गफीट) भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 की अवाप्ति में आने से सक्षम अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा को उक्त भूमि का अवार्ड आबादी भूमि की डीएलसी दर से मुआवजा राशि दिलाने हेतु समय समय पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। सक्षम अधिकारी, भूमि अवाप्ति, उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा ग्राम बड़गांव के खसरा नम्बर 1392/797 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा याने 1701 वर्गमीटर में से अवाप्त क्षेत्रफल 0.119 हैक्टर के बजाय मूल खसरा नम्बर 797 का कृषि भूमि की डीएलसी दर से राशि रू. 151386/- का अवार्ड पारित किया है। जबकि मौके पर प्रार्थीया द्वारा क्रयशुदा आबादी भूमि खसरा नम्बर 1392/797 अवाप्त की गई है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि की स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति है तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करती है व Arbitrator के द्वारा अवधारण (Adjudication) चाहती है। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थीया को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान है। जिसमें भूमि के डी.एल.सी. मूल्य की दौ गुना राशि कर तथा उक्त दुगुनी राशि का 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) कर अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रख कर अवार्ड पारीत किया जाना आवश्यक है। परन्तु भूमि अवाप्ति सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रश्नगत अवार्ड पारीत किया है। जो मनमाना, चंचल व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। वर्तमान में प्रार्थीया की प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि है, तथा उक्त भूमि आबादीशुदा सर्वे नम्बर 1392/797 का एक भाग है। इस कारण उक्त अवाप्तशुदा भूमि बांसवाड़ा-उदयपुर मुख्य मार्ग से 40 मीटर दूर (100 मीटर के भीतर) स्थित 12805 वर्गफीट वाके ग्राम बड़गांव "ए" की निर्धारण वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर 400/-रू. वर्गफीट से भूमि की किमत मुआवजा राशि रूपया 5122000/- होती है, उक्त राशि का दो गुना रू. 10244000/- होती है, जिसका 100 प्रतिशत तोषण 10244000/- इस प्रकार कुल राशि 20488000/- एवं उक्त रकम पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्रार्थीया पाने की अधिकारीणी है। उक्त अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा नियमानुसार अभी तक प्रार्थीया को अदा नहीं किया गया है। इस कारण भू-अवाप्ति की कुल कार्यवाही Lapse हो चुकी है। इस कारण नियमानुसार आज की मार्केट वेल्यू के हिसाब से व भू-अवाप्ति अधिनियम व नियमों के अनुसार मय समस्त लाभो व परिलाभो व ब्याज सहित अदा की जाने योग्य है। इस कारण नियमानुसार उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थीया को अदा करने का एवार्ड जारी करने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा -

- (1) 2016 DNJ (SC) 507, Aligarh Development Authority Vs Maghsingh & Others
- (2) 2016 DNJ (SC) 468 Shakuntala Yadav & Ors Vs State of Hariyana & Ors व अनेकानेक न्यायिक उद्धरणों में वैधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं।



भू-अवाप्ति अधिकारी
जिला बंसवाड़ा
बांसवाड़ा

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना-पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थीया के पक्ष में एवं प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध निम्न आशय का अर्दा पारीत करावे कि :-


(क) यह कि, प्रार्थीया प्रार्थीया की क्रयशुदा रूपान्तरित भूमि 12805 वर्गफीट का प्रचलित बाजार मूल्य 2 गुणा की दर से तथा इसका 100 प्रतिशत तोषण इस प्रकार कुल रूपया 20488000/- या अन्य रकम जो वाजिव बनती है, वह मुआवजा दिलाया जावे। व अन्य परिलाभ जो कानूनन प्रार्थीया पाने की अधिकारी है, वह भी दिलाया जावे।

(ख) यह कि, कुल राशि रूपया 20488000/- पर नियमानुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ताअदायगी दिलाया जावे।

(ग) यह कि, अन्य अनुतोष जो न्यायहित में आवश्यक हो प्रार्थीया को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसकी नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (c) के तहत आपत्तियां आमन्त्रण के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनियम की धारा 3 (d) की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। मामले में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3 (क) की अधिसूचना के प्रकशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही होकर नियमानुसार है। अतः आर्बिटेश्न प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिटेश्न की परिधि में नहीं आने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है, प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी जिस भूमि का प्रार्थना पत्र लेकर पेश हुआ है, उक्त आराजी भूमि का गजट प्रकशन नियमानुसार अर्दा पारित होकर उक्त आराजी के मुआवजे का नियमानुसार अर्दा जारी होने की दिनांक से जमा करा दिया गया, जो कि प्रार्थी के हित के अनुरूप उक्त जमा मुआवजा को पाने की अधिकारी है तथा जिस कारण उक्त आराजी का मुआवजा जारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। अर्दा में स्पष्ट उल्लेखित है कि धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3-क की अधिसूचना के गजट प्रकशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दरों की सूचना उप पंजीयकों से मंगवाई गई है। डीएलसी दरें का तात्पर्य जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से है, इसी कारण अवाप्ताधीन भूमि एन. एच. पर स्थित को मान कर प्राप्त डीएलसी की दर से मुआवजा निर्धारण किया गया है। जो सही है। इसके



अतिरिक्त For determination of Market value of large track of land for Acquisition, value of small plots is not applicable, AIR 1989 P & H 27 Hukum chand V. Hariyana State में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः यदि कोई प्लॉट (small of Land plote) आता है तो उसका निर्धारण पुरे ट्रेक पर स्थित भूमियों के अनुरूप किया जाएगा। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिग्रहित की गई है, उक्त अधिग्रहित कार्यवाही पर Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चूंकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिला नगर परिषद् के 15 किमी परिधि में होने वाले अधिग्रहित भूमि पर दोगुना राशि व 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो कि मुआवजे के अवार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा के पत्र दिनांक 14-05-2018 से प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम बडगांव के आराजी नम्बर 797 में से 0.119 हैक्टेयर किरम आबादी श्रीसरकार आबादी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्ति हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हुई हैं। जबकि ग्राम बडगांव उक्त खसरा नम्बर 797 के विभाजित खसरा नम्बर 1392/797 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में से मौके पर 0.119 हैक्टेयर भूमि देवा पिता नाथू चमार, निवासी गोरडी तहसील बांसवाड़ा की कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित आबादी भूमि अवाप्त हुई हैं। जिसमें प्रार्थीया निरूपमा पण्ड्या पत्नि प्रणव पण्ड्या की 18295 वर्गफीट में से 12805 वर्ग फीट क्रयशुदा भूमि का भूखण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत अवाप्त हुआ है। ग्राम बडगांव के मूल खसरा नम्बर 797 के विभाजित खसरा नम्बर 1392/797 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में से 0.119 हैक्टेयर किरम आबादी में से निरूपमा पण्ड्या पत्नि प्रणव पण्ड्या निवासी बांसवाड़ा की रूपान्तरित क्रयशुदा आबादी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्ति हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुआ है। अवाप्तशुदा अधिसूचित खसरा नम्बर 797 श्रीसरकार भूमि का अवार्ड पारित होने से प्रार्थीया को मुआवजा राशि का चैक जारी नहीं किया गया है। प्रार्थीया निरूपमा पण्ड्या की क्रयशुदा रूपान्तरित आबादी भूमि खसरा नम्बर 1392/797 में से 12805 वर्ग फीट भूमि रूपान्तरित आबादी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत अवाप्त हुई है। प्रार्थीया की अवाप्तशुदा भूमि खातेदार के बजाय नामान्तरण से दर्ज श्रीसरकार आबादी के नाम से गजट नोटिफिकेशन जारी होकर अवार्ड पारित होने से मुआवजा राशि का चैक जारी नहीं किया गया है। प्रार्थीया की अवाप्तशुदा भूमि श्रीसरकार आबादी के नाम से गजट नोटिफिकेशन जारी होकर अवार्ड पारित होने से मुआवजा राशि का चैक जारी

D.M. Decision 2016.doc



भगवती प्रसाद
जिला क्लर्क
बांसवाड़ा

नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना संख्या 2112 (अ) नई दिल्ली 8 सितम्बर 2012 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 23.08.2013 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के बजाय राजस्व ग्राम बडगांव का आराजी नम्बर 1392/797 रकवा 1 वीधा 1 बिस्वा देवा पिता नाथू चमार, निवासी गोरडी तहसील बांसवाड़ा की कृषि भूमि कार्यालय विहित प्राधिकारी अधिकारी तहसीलदार बांसवाड़ा के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राज/2006/3188-95 दिनांक 29.09.2006 द्वारा कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि में से 0.119 हेक्टेयर अवाप्त हुई हैं। संपरिवर्तन गजट नोटिफिकेशन के पूर्व हुआ है। उक्त संपरिवर्तन आदेश का ग्राम बडगांव के नामान्तरण संख्या 1308 दिनांक 08-11-2006 द्वारा खातेदार के नाम के बजाय श्रीसरकार आबादी दर्ज किया गया। प्रार्थीया निरूपमा पण्ड्या ने अधिसूचना जारी होने से पूर्व दिनांक 01-09-2009 को जरिये रजिस्ट्री खातेदार देवा पिता नाथू चमार निवासी गोरडी से आवसीय भू-खण्ड 18295 वर्ग फीट क्रय किया है। जिसमें से सड़क निर्माण के पश्चात् एलाईमेन्ट अनुसार तहसीलदार बांसवाड़ा की रिपोर्ट मुताबिक 12805 वर्ग फीट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्त हुई है। अवाप्तशुदा 12805 वर्ग फीट भूमि के अवार्ड के समय मुताबिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख के मूल्यांकन मुताबिक व दस्तावेज में अंकित ग्राम बडगांव-बी की वर्ष 2010-11 की आबादी भूमि की डी.एल.सी. दर में 15% पश्चात् 10% जोड़कर की गई गणना से 20,57,251/- अक्षरे बीस लाख सत्तावन हजार दौ सौ इक्यावन रूपया मात्र मुआवजा राशि बनती है। यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माईक्रो-प्लान) R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO) द्वारा किया जाता है।


दिनांक 17-05-2018 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

विपक्षी संख्या एक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए धारा 3-जी (7)(ए) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो मुआवजा पूर्व में जारी हो चुका है, जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रार्थीया की आवासीय भूमि अवाप्त की गई है, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा ने भी अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि गलत खसरा नं० श्री सरकार भूमि का गलत गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित होने एवं गलत अवार्ड पारित होने से प्रार्थीगण को मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

D At Decision





भगवती प्रसाद
 जिला कलेक्टर
 बांसवाड़ा

अतः उक्त तथ्यों के प्रकृष्ट में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत आवासीय भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर अवार्ड जारी करावें। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से करवाई जाकर प्रार्थी को अवार्ड एवं सहायता राशि का भुगतान कराया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा (राज.) को निर्देशित किया जाता है अवार्ड के आधार निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17-05-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (श्रीमती प्रमोदा)
 जिला कलेक्टर
 बांसवाड़ा